भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1180

दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को उत्तरार्थ

अधिग्रहीत कृषि भूमि को पुनः प्राप्त किया जाना

1180.डा. प्रभा ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्यों में जन उपयोग हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण किये अनेक वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराने, कृषि भूमि की अवाप्ति का उद्देश्य समाप्त हो जाने, उस भूमि के लिए किसानों द्वारा मुआवजा स्वीकार नहीं किये जाने तथा उनके द्वारा भूमि पर खेती जारी रखने तथा काबिज रहने की स्थिति में उस भूमि का अधिग्रहण समाप्त करने के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री लालचन्द कटारिया)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है जिसे भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के पैरा 6.24.2 में प्रावधान है कि "यदि किसी परियोजना के लिए अनिवार्यतः अर्जित की गई भूमि या उसका कोई भाग अर्जनकारी निकाय द्वारा कब्जे में लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक परियोजना के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो वह भूमि अर्जनकारी निकाय को कोई प्रतिकर या क्षतिपूर्ति की अदाएगी किए बिना ही वापस समुचित सरकार के कब्जे में और स्वामित्व में आ जाएगी।"

*****